



पत्रांक : १९७३ / सि०वि०क० / २०२१-२२
 सेवा में,

दिनांक : ०५ /०५/ २०२२

- १—सम्पादक, दैनिक जागरण, सिद्धार्थनगर।
- २—सम्पादक, अमर उजाला, सिद्धार्थनगर।

विषय— राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद एवं दीनदयाल शोध पीठ में शोध चेयर की नियुक्ति के संबंध में।
महोदय,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर द्वारा विश्वविद्यालय उपरोक्त पदों की अर्हताएं, नियम एवं शर्तें आदि सम्बन्धी विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.suksn.edu.in पर उपलब्ध हैं, इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित, सम्पूर्ण शैक्षिक विवरण/अनुभवों के साथ अभिपूरित कर पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 25.05.2022 तक कर सकते हैं।

अतः आप से अनुरोध है कि निम्न विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के गोरखपुर संस्करण में न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
 सिद्धार्थनगर।



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.)

विज्ञापन

निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं—

१. विज्ञापन संख्या—SUK-01/22 राष्ट्रीय सेवायोजना के अन्तर्गत अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक।
२. विज्ञापन संख्या—SUK-02/22 दीनदयाल शोध पीठ में शोध चेयर उपरोक्त पदों की अर्हताएं, नियम एवं शर्तें आदि सम्बन्धी विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.suksn.edu.in पर उपलब्ध हैं, इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित, सम्पूर्ण शैक्षिक विवरण/अनुभवों के साथ अभिपूरित कर पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 25.05.2022 कर सकते हैं।

कुलसचिव

Size: 5x8=40sqcm

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
 सिद्धार्थनगर।



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र०(भारत)

Website : www.suksn.edu.in, Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

विज्ञाप्ति

एतदद्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर तथा स्थानीय सम्बद्ध/घटक महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए आवेदन समस्त अभिलेखों सहित, सम्पूर्ण शैक्षणिक विवरण/अनुभवों के साथ अभिपूरित कर आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 25-05-2022 तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी तदनुसार मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार के समय उपस्थित हों।

कार्यक्रम समन्वयक हेतु निम्नलिखित अर्हतायें पूर्ण होना चाहिए।

1. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में रीडर/प्रवक्ता (चयन वेतनमान) प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।
2. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी जिन्हे राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, समन्वयक की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
3. अभ्यर्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यानुभव रहा हो।
4. अभ्यर्थी प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम तिथि तक 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर।

दिनांक: 05.05.2022

पत्रांक १७५/कु०स०का०/सि०वि०वि०/२०२१-२२

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सम्पादक दैनिक जागरण एवं अमर उजाला सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में 8 x 5 वर्ग सेमी. में गोरखपुर संस्करण में प्रकाशित कर देयक दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. डॉ० अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी सि०वि०वि०क० सिद्धार्थनगर।
5. प्रभारी, कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञाप्ति को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षण हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

डा० सत्येन्द्र बहादुर मिह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
गज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे।

कुलपति / निदेशक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से
संबंधित समर्सत विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

श्री विनोद

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग

लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2010

15.5.10

विषय राष्ट्रीय सेवा योजना के सचालन के लिये अशकालिक कार्यक्रम समन्वयक / एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति, अहंताय तथा कर्तव्य आदि के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सरद्या—1399 / सत्र—य०संयोग—26/92, दिनांक 23 अगस्त, 1999 के सदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 1999 मे भास्त सरकार के मैनुवल के अनुपालन मे निम्नांकित सशोधन को समाप्ति करते हुए अशकालिक कार्यक्रम समन्वयक / एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के सद्बन्ध मे कार्यवाही सुनिश्चित को जाये—

- पद के लिये हानि को सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापित को जाये, जिसको प्राप्ति शासन को उपलब्ध करायी जाये।
- साक्षात्कार सामाजिक सम्पर्क कम से कम पांच उम्मीदवारों को उपर्योग अनिवार्य को जाय। पांच से कम सख्ता को दशा मे पद पुनर्विज्ञापित करके पुनर्आवेदन पत्र प्राप्त किये जाय। न्यूनतम पांच उम्मीदवारों के 'कारम' को प्रत्यक दशा मे सुनिश्चित किया जाय।

3. शासनादेश सख्या—1309 / सत्तर—रा०स०यो०—26/92, दिनांक 23 अगस्त, 1999 के बिन्दु सख्या—1 के आन्तरम प्रेरण में उल्लेखित—“यदि शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति द्वारा अपरिहाय कारणवश न्यूनतम अहताय पूर्ण होने की प्रत्याशा में एक वष के लिये तदथ रूप से कार्यक्रम समन्वयक, / एसोसियेट कार्यक्रम समन्वयक को नियुक्ति की जाती है तो इस प्रकार नियुक्त कार्यक्रम समन्वयक, / एसोसियेट कार्यक्रम समन्वयक की एक वष के अन्दर न्यूनतम अहताय पूर्ण होने पर कुलपात्रों के अनुमोदन पर शासन द्वारा नियमित रूप से 03 वष के लिये नियुक्ति को जा सकती है किन्तु इस शर्त के साथ कि 03 वष के कार्यकाल को गणना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही ओगणित की जाएगी।” के क्रम में साष्ट करना है कि उक्त शिथिलीकरण शासनादेश सख्या—1309 / सत्तर—रा०स०यो०—26/92, दिनांक 23 अगस्त, 1999 के प्रस्तर—6 के बिन्दु—(घ) —“उसे प्रशिक्षण तथा आभावेन्यास केन्द्र, प्राशिक्षण आभावेन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा याजना पर आभावेन्यास किया जाना चाहिए,” से सबधित है एव न्यूनतम अहता विषयक यह छूट उन विश्वविद्यालयों को दी जाएगी, जहाँ पूर्व के तर्ष में याजना सचालेत नहीं है। शासनादेश सख्या—1309 / सत्तर—रा०स०यो०—26/92, दिनांक 23 अगस्त, 1999 के प्रस्तर—6 में उल्लेखित अन्य अहताय गठावत् रहेगा। एव जिन विश्वविद्यालयों में पूर्व के वषों में रा०स०यो० सचालेत है, वहाँ कार्यक्रम समन्वयक, रा०स०यो० के चयन में उपरोक्त प्रस्तर—4 में द्यात्री शिथिलीकरण मान्य नहीं है तथा अहे उप्रोक्ताणों को ही साक्षात्कार समाप्ति के समक्ष आमंत्रित किया जाय।

उपरोक्त प्राविधानों का कठाइ से अनुग्रहन सुनाइचत किया जाय।

भवदीश,

रा० (सत्येन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष कायाधेकारी एव
राज्य समर्क आधेकारी

सरण्या-583(1) / सत्तर-रा०स०यो०को०-2010, तदनिनाक।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनाथे एव आवश्यक कार्यवाही हतु
प्रेषित-

- 1— महालंखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— निदेशक, स्थानोय निधे लेखा, सम्परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3— शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4—अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम तथा खेल मन्त्रालय, रा०स०यो०,
क्षेत्रीय, वाई०एस०- ।।।, शास्त्री भवन, नडे दिल्ली।
- 5—सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एव खेल
मन्त्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र, हाल न० 1, आठवा तल,
केन्द्रीय भवन, सेकटर—एच० अलोगज, लखनऊ।
- 6—कुलसचिव, वित्त आधेकारी, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 7—कार्यक्रम समन्वयक, समस्त सबधित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

डा० (सत्यन्द बहौदुर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एव
राज्य सम्पर्क आधेकारी।

पं० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ में शोध चेयर की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश

पं० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना शासनादेश संख्या—68/2017 / 1809/सत्तर-4-2017-15/2017, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के द्वारा हुई। राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त केन्द्र में किसी भी पद का सृजन नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में स्थापित पं० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से किए जाने हेतु शोध चेयर की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है, इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विद्यापरिषद एवं वित्त समिति से स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् शोध चेयर की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शोधपीठ में शोध चेयर की नियुक्ति/नियोजन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रस्तावित हैः—

1—मेजबान केन्द्र : पं० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ।

2—उद्देश्य : पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की समसामयिक प्रासंगिकता युक्त बहु—अनुशासनिक समग्र अध्ययन, अध्यापन एवं शोध को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना जिनका स्रोत हिन्दू/सनातन परम्परा में है। शोध चेयर प्रमुख रूप से पीठ के अन्तर्गत जीवंत क्रियाशील शोध समूह को विकसित करने तथा पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचारों एवं चिन्तन को प्रभावी रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जिससे शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी तत्सम्बन्धी विचारों का गहन अध्ययन कर सके तथा जिससे उसकी आधुनिक समसामयिक प्रासंगिकता को स्पष्ट एवं उद्घाटित करने में सहायता प्राप्त हो।

3—अनिवार्य अर्हता: पं० दीनदयाल उपाध्याय के चिन्तन एवं दर्शन के उत्कृष्ट विद्वान्/मानविकी, प्राच्य विद्या, भारतीय दर्शन या अन्य कोई अनुशासन जैसा कि अपेक्षित होगा, के अर्हता वाले विद्वान्/लेखक को शोध चेयर हेतु नियोजित/नामांकित किया जा सकता है।

4—आयु: अधिकतम 70 वर्ष।

5— कार्यक्षेत्र/अपेक्षाएः: (i) पं० दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
(ii) जैसा कि उद्देश्य की अपेक्षा है उसके अनुरूप सम्बन्धित अनुशासन में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध के दायित्व का सम्यक निर्वहन।
(iii) चयनित अनुशासन में निहित प्राचीन हिन्दू/सनातन साहित्य/विचारों का अनुसंधान करना/उन्हें पुनः खोजना/उनमें सुधार करना जिससे पं० दीनदयाल उपाध्याय के समग्र चिन्तन के साथ उनका वास्तविक अर्थ उद्घाटित हो जाय।

(iv) विषय को नवीन दृष्टि, बोध, शोध एवं अधुनातन विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना।

(v) विषय के महत्व एवं उसकी समसामयिक प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करना।

(vi) विषय एवं उसके सिद्धातों को सम्भव सरलतम खड़ों में इस प्रकार विभाजित करके प्रस्तुत करना जिससे वह नवीन पीढ़ी को आसानी से सम्प्रेषित हो सके।

(vii) विद्यार्थियों की एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना जो प्राच्य एवं पं० दीन दयाल उपाध्याय के विचारों के आलोक एवं उसकी प्रासंगिकता से विश्व को देश की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए परिचित करा सके।

(viii) पं० दीन दयाल उपाध्याय के चिन्तन एवं दर्शन के केन्द्रीय तत्वों पर व्याख्यान की श्रृंखला, सेमिनार, विमर्श आयोजित करना।

(ix) विश्वविद्यालय को इस तरह से सहयोग देना जिसमें पं० दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ सशक्त हो सके।

6—मानदेय : शोध चेयर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सहायक आचार्य (असिस्टेण्ट प्रोफेसर) के मूल वेतन के समतुल्य मानदेय (रु० 57,700.00 प्रतिमाह) देय होगा।

7—अवधि: नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो संतोषजनक प्रगति पर हर छः—छः महीने हेतु विस्तारित की जायेगी।

8—सुविधाएँ : (i) विश्वविद्यालय के नियमानुसार उसे यात्रा भत्ता देय होगा।
(ii) उपलब्धता होने पर निःशुल्क अतिथि गृह की सुविधा।

9—अवकाश नियम : पूरी अवधि हेतु नियोजित/नामित शोध चेयर को प्रति पूर्ण माह के सापेक्ष 01 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।


कुलसचिव